

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील लगडू,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

केस नं0 : 12/2025

तारीख फैसला : 15-11-2025

श्रीमती बबलेश कुमारी पुत्री श्री जौंडू राम, गांव पुखरु, डाकघर लगडू, तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
वादिवादी।

बनाम

आम जनता गांव पुखरु, डाकघर लगडू, उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
प्रधान/सचिव ग्राम पंचायत पुखरु प्रतिवादी।

विषय.—हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण बारे।

वादिवा श्रीमती बबलेश कुमारी पुत्री श्री जौंडू राम, गांव पुखरु, डाकघर लगडू, तहसील लगडू ने इस अदालत में आवेदन प्रस्तुत करके अनुरोध किया है कि उसका जन्म दिनांक 12-12-1972 को हुआ है परन्तु इसका पंजीकरण ग्राम पंचायत पुखरु में नहीं करवाया है। इसलिए उसके जन्म पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत पुखरु को जारी किया जाए।

अतः इस कोर्ट नोटिस मुनादी के माध्यम से आम जनता व सभी प्रतिवादियों को सूचित किया जाता है कि किसी को भी इस जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह इस मामले की तयशुदा तारीख पेशी 15-11-2025 को समय 11.00 बजे सुबह इस अदालत में अदालतन या वकालतन हाजिर आकर प्रस्तुत करें। गैरहाजिरी की सूरत में नियमानुसार कारवाई अमल में लाई जावेगी तथा इस जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

यह इशतहार आज दिनांक 18-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ता0/—

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील लगडू,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

केस नं0 : 13/2025

तारीख फैसला : 15-11-2025

श्रीमती राज कुमारी पुत्री श्री निक्कू राम, गांव पुखरु, डाकघर लगडू, तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
वादिवादी।

बनाम

आम जनता गांव पुखरु, डाकघर लगडू, तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
प्रधान/सचिव ग्राम पंचायत पुखरु प्रतिवादी।

विषय.—हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण बारे।

वादिया श्रीमती राज कुमारी पुत्री श्री निक्कू राम, गांव पुखरु, डाकघर लगडू, तहसील लगडू ने इस अदालत में आवेदन प्रस्तुत करके अनुरोध किया है कि उसका जन्म दिनांक 12-01-1970 को हुआ है परन्तु इसका पंजीकरण ग्राम पंचायत पुखरु में नहीं करवाया है। इसलिए उसके जन्म पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत पुखरु को जारी किया जाए।

अतः इस कोर्ट नोटिस मुनादी के माध्यम से आम जनता व सभी प्रतिवादियों को सूचित किया जाता है कि किसी को भी इस जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह इस मामले की तयशुदा तारीख पेशी 15-11-2025 को समय 11.00 बजे सुबह इस अदालत में अदालतन या वकालतन हाजिर आकर प्रस्तुत करें। गैरहाजिरी की सूरत में नियमानुसार कारवाई अमल में लाई जावेगी तथा इस जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 18-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ता०/—

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

ब मुकद्दमा :

ज्ञान चन्द पुत्र रसीला, वासी गांव व डाकघर घियोरी, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।

बनाम

आम जनता

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म तिथि एवं मृत्यु अधिनियम, 1966.

प्रार्थी ज्ञान चन्द पुत्र रसीला, वासी गांव व डाकघर घियोरी, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) ने अपनी जन्म तिथि जोकि 01-09-1942 है, के पंजीकरण हेतु अधोहस्ताक्षरी की अदालत में आवेदन किया है जोकि जेरे समायत है। इसकी माता का नाम कला देवी है। यदि उक्त प्रार्थी की जन्म तिथि को दर्ज करने बारे किसी को भी आपत्ति या एतराज हो तो वह प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर अपने उजर/एतराज स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से अधोहस्ताक्षरित की अदालत में दर्ज करवा सकता है। किसी आपत्ति के न होने की स्थिति में प्रार्थी की प्रार्थना को स्वीकार किया जायेगा।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

कार्यकारी दण्डाधिकारी,
देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा :

निर्मला देवी पुत्री पिरथी सिंह, गांव बाड़ी, डाकघर बाँगता, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

समस्त आम जनता

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म तिथि एवं मृत्यु अधिनियम, 1966.

प्रार्थिया निर्मला देवी पुत्री पिरथी सिंह पुत्र वजीरा राम, गांव बाड़ी, डाकघर बाँगता, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अपनी जन्म तिथि जोकि 04-03-1964 है, के पंजीकरण हेतु अधोहस्ताक्षरी की अदालत में आवेदन किया है जोकि जेरे समायत है। इसकी माता का नाम रत्तनी देवी है। यदि उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि को दर्ज करने बारे किसी को भी आपत्ति या एतराज हो तो वह प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर अपने उजर/एतराज स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से अधोहस्ताक्षरित की अदालत में दर्ज करवा सकता है। किसी आपत्ति के न होने की स्थिति में प्रार्थिया की प्रार्थना को स्वीकार किया जायेगा।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा :

बाल कृष्ण पुत्र अमर नाथ, वासी गांव नौण, डाकघर घेड़, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म तिथि एवं मृत्यु अधिनियम, 1966.

प्रार्थी बाल कृष्ण पुत्र अमर नाथ, वासी गांव नौण, डाकघर घेड़, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा ने अपनी जन्म तिथि जोकि 15-02-1973 है, के पंजीकरण हेतु अधोहस्ताक्षरी की अदालत में आवेदन किया है जोकि जेरे समायत है। इसकी माता का नाम सत्या देवी है। यदि उक्त प्रार्थी की जन्म तिथि को दर्ज करने बारे किसी को भी आपत्ति या एतराज हो तो वह प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर अपने उजर/एतराज स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से अधोहस्ताक्षरित की अदालत में दर्ज करवा सकता है। किसी आपत्ति के न होने की स्थिति में प्रार्थी की प्रार्थना को स्वीकार किया जायेगा।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा :

नजीर वेगम पत्नी वदर दीन, निवासी गांव व डाकघर घियोरी, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म तिथि एवं मृत्यु अधिनियम, 1966.

प्रार्थिया नजीर वेगम पत्नी वदर दीन, निवासी गांव व डाकघर घियोरी, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा ने अपने पुत्र परवेज इकवाल की जन्म तिथि जोकि 25-04-1996 है, के पंजीकरण हेतु अधोहस्ताक्षरी की अदालत में आवेदन किया है जोकि जेरे समायत है। यदि उक्त प्रार्थिया के पुत्र की जन्म तिथि को दर्ज करने बारे किसी को भी आपत्ति या एतराज हो तो वह प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर अपने उजर/एतराज स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से अधोहस्ताक्षरित की अदालत में दर्ज करवा सकता है। किसी आपत्ति के न होने की स्थिति में प्रार्थिया की प्रार्थना को स्वीकार किया जायेगा।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी धर्मशाला,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

किस्म मुकद्दमा: तकसीम

तारीख : 15-11-2025

मुश्त्री/मुनादी

किशोरी लाल

बनाम

बिमला देवी आदि

प्रतिवादी.—श्री करम चंद पुत्र गोरख पुत्र खजाना, अशोक कुमार पुत्र करम चंद पुत्र गोरख, दीना नाथ पुत्र गोरख, निवासी उप-महाल धरमकोट, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा के भूमि खाता नंबर 88, खतौनी नं0 240 ता 243 खसरा कित्ता 29, रकबा तादादी 01-36-07 है0 वाक्या उप-महाल धरमकोट, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, जमाबंदी साल 2019-20 की तकसीम करने हेतु इस अदालत में प्रार्थी श्री किशोरी लाल पुत्र स्व0 सीता राम पुत्र सूबा ने प्रार्थना-पत्र पेश किया है। जिसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण पक्ष समन साधारण तरीका से तामील नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए इस अदालती इश्तहार राजपत्र के माध्यम से

उपरोक्त प्रतिवादियों को सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 15-11-2025 को सुबह 11.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर हों। अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 13-11-2025 को मेरे हस्ताक्षर और मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 10 / 2025

तारीख पेशी : 28-11-2025

श्री राजिन्दर लाल पुत्र पुरन चन्द, निवासी गांव हंलू, डाकघर व तहसील थुरल, ग्राम पंचायत कांना सुभा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र।

इशतहार अखबारी व मुशत्री मुनादी।

प्रार्थी श्री राजिन्दर लाल पुत्र पुरन चन्द, निवासी गांव हंलू, डाकघर व तहसील थुरल, ग्राम पंचायत कांना सुभा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर के प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया व आवेदन किया कि उसका जन्म दिनांक 22-05-1965 को गांव हंलू, ग्राम पंचायत कांना सुभा में हुआ है। परन्तु अज्ञानतावश उसके जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। अतः प्रार्थी इस न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत कांना सुभा को जारी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इशतहार मुशत्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उक्त राजिन्दर लाल की जन्म तिथि 22-05-1965 के पंजीकरण बारे किसी प्रकार की आपत्ति या उजर है तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 28-11-2025 को हाजिर अदालत होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त जन्म तिथि 22-05-1965 के पंजीकरण करने के आदेश उप-स्थानीय पंजीकार जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत, कांना सुभा को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 21-10-2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ब अदालत कार्याकारी दण्डाधिकारी थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 09/2025

किस्म प्रकरण : जन्म पंजीकरण

तारीख पेशी : 28-11-2025

श्रीमती ववीता देवी पुत्री श्री भगवान सिंह, निवासी गांव कण्डी, डाकघर साई, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत भ्रान्ता, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना—पत्र।

इश्तहार अखबारी व मुश्री मुनादी।

श्रीमती ववीता देवी पुत्री श्री भगवान सिंह, निवासी गांव कण्डी, डाकघर साई, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत भ्रान्ता, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया व आवेदन किया कि उसका जन्म दिनांक 13-08-1974 को गांव कण्डी, डाकघर साई, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत भ्रान्ता में हुआ है। परन्तु अज्ञानतावश उसके जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। अतः प्रार्थिया इस न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म पंजीकरण करने के आदेश ग्राम पंचायत भ्रान्ता को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुश्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उपरोक्त की जन्म तिथि 13-08-1974 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 28-11-2025 को हाजिर अदालत होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त श्रीमती ववीता देवी की जन्म तिथि को पंजीकृत करने के आदेश उप—स्थानीय पंजीकार जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत भ्रान्ता को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 24-11-2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 14/T/P/2025

तारीख दायरा : 20-08-2024

तारीख पेशी : 15-11-2025

अंकुश कुमार पुत्र गोपाल कृष्ण, निवासी महाल स्वाणा निचला, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

प्रार्थी ।

छज्जू राम पुत्र इन्द्र पुत्र वतीहडू आदि वासीगण महाल स्वाणा निचला, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . प्रत्यर्थीगण ।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र तकसीम भूमि खाता/खतौनी नं० 120, 121/335 ता 337, कित्ता 12, रकबा तादादी 01—32—09 है०, महाल स्वाणा निचला इश्तहार प्रकाशन बारे ।

मुकद्दमा तकसीम शीर्षक अंकुश कुमार बनाम छज्जू राम आदि वासी महाल स्वाणा निचला की भूमि खाता/खतौनी नं० 120, 121/335 ता 337, कित्ता 12, रकबा तादादी 01—32—09 है०, महाल स्वाणा निचला अधोहस्ताक्षरी की अदालत में विचाराधीन है बाद छानबीन पाया गया कि प्रत्यर्थी छज्जू राम पुत्र इन्द्र पुत्र वतीहडू दिए गए पते पर नहीं रहता है तथा रिपोर्ट अंशकालीन कर्मचारी से पाया गया कि छज्जू राम काफी दिनों से लापता है तथा उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम में छज्जू राम मालिक कागजात माल दर्ज है ।

अतः इस इश्तहार/नोटिस राजपत्र हि०प्र० के माध्यम से छज्जू राम पुत्र इन्द्र, वासी महाल स्वाणा निचला, तहसील जसवां व समस्त जनता तथा सम्बन्धी रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त दावा तकसीम में यदि कोई उजर/एतराज हो तो वे दिनांक 15—11—2025 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर आकर असालतन/वकालतन अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं । उजर/एतराज प्रस्तुत न करने की सूरत में उपरोक्त छज्जू राम के विरुद्ध आदेश पारित कर दिए जाएंगे । एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर तकसीम मुकद्दमा का निपटारा किया जायेगा

मोहर ।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।
